केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00047
CICOM/R/P/20/00237

अपीलकर्ता : श्री गोरखनंदन विश्वकर्मा
बी/59 बिड़ला कालोनी,
फुलवारी शरीफ, पटना - 801505.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.03.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन के प्राप्त होने की तिथि	09.06.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.06.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.05.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	12.06.2020
निर्णय की तारीख	29.06.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन सं. 957-08-2020 दिनांक 13.03.2020 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी:-

श्री मुन्ना खरवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्र सं. 945-219-2019 दिनांक 23.11.2019 के माध्यम से प्रेषित द्वितीय अपील की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर कब तक की जाएगी, कृपया बताने का कष्ट करें ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 09.06.2020 को प्रेषित की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि:-

"कमीशन के साफ्टवेयर के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्णित 23.11.2019 की द्वितीय अपील इस कमीशन में 27.11.2019 को डायरी सं. 157407/2019 के तहत डायराइज की गई थी जिस पर 28.11.2019 को द्वितीय अपील सं. CIC/POSTS/A/2019/157407 पंजीकृत की गई थी" ।

"जैसा कि कमीशन की वेबसाईट पर Right to Information Disclosure (जो कि RTI in CIC को click करने पर आता है) में Section 4 (1) (b) (iv) में वर्णित है अपीलों/शिकायतों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सुनवाई हेतु लिया जाता है । अत: उपरोक्त द्वितीय अपील भी आयोग द्वारा उचित समय पर सुनवाई हेतु ली जाएगी" ।

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - "वांछित सूचना का उत्तर के लिए निर्धारित समय-सीमा व्यतीत हो जाने के बाद, मंच को जवाब नहीं प्राप्त होने के कारण आपके समक्ष प्रथम अपील करने के लिए मंच बाध्य है" ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
30 JUN 2020
D. No........
Initials........

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 13.03.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 09.06.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ एवं उसी दिन अर्थात दिनांक 09.06.2020 को ही केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है । केन्द्रीय सूचना अधिकारी, श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रदान की गई सूचना आर.टी.आई. आवेदन में मांगी गई सूचना के अनुसार ही है एवं बिल्कुल स्पष्ट है । अत: इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 29 जून, 2020

मीना शर्मा 29/06/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

संलग्नक - श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति ।

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (CR-1), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

30/06/20